न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः 80 /2016
रज्जु दिनांकः 10/06/2016
निर्णय दिनांक : 09/08/2016

मृत्युन्जय सिंह पुत्र श्री उदयभान सिंह जाति राजपूत, निवासीः ग्राम सिरोहीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

——वादी

बनाम

1. उदयभान सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासीः ग्राम सिरोहीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
2. अजय सिंह पुत्र श्री उदयभान सिंह, जाति राजपूत, निवासीः ग्राम सिरोहीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
4. मैनेजर एसबीबीजे शाखा दूदू, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री प्रमोद कुमार जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत एडवोकेट
श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

निर्णय दिनांकः 09/08/2016

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी जमाबंदी 2066—2069 के आराजी खाता संख्या 11 के आराजी खसरा नंबर 126, 128, 130,

उपखण्ड अधिकारी दूदू

Scanned by CamScanner

131, 133, 134/1677, 135, 138, 422, 426 लगायत 436, 624, 625, 626, 635, 636, 645, 646, 650, 725, 956 लगायत 961, 998, 1054 लगायत 1062, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1073, 1582 लगायत 1593, 1599, 1600, 1764/1074, 1766/1075 कुल किता 67 कुल रकबा 47.1500 हैक्टेयर वाके ग्राम सिरोहीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/3 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 प्रत्येक का 1/3–1/3 हक व हिस्सा है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी अपने–अपने हिस्से अनुसार जमा कराते आ रहे है। पक्षकारान का सिजरा खानदान निम्न प्रकार है।

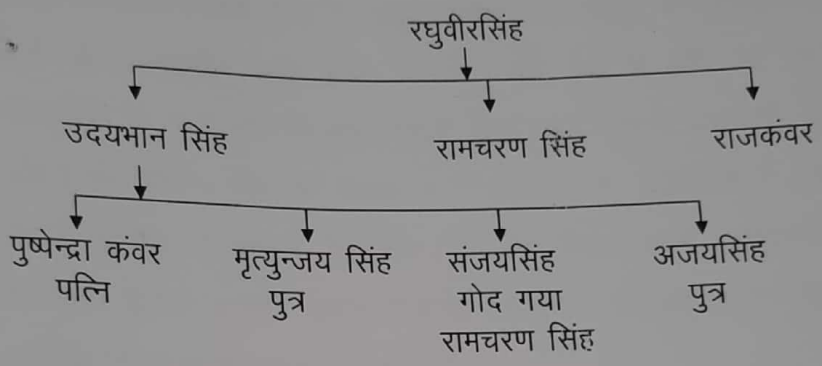

उपरोक्त सिजरे अनुसार पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की मौरूसी मुश्तर्का सम्पत्ति है। विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक आराजीयात है जो जरिये विरासत प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक आराजीयात है चूंकि विवादित आराजी पैतृक आराजी है इसलिये उक्त आराजीयात में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में वादी का बाई बर्थ हक व हिस्सा बनता है जिसके तहत् वादी 1/3 हिस्से पर, प्रतिवादी संख्या 1, 1/3 हिस्से पर व प्रतिवादी संख्या 2, 1/3 हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार वादी खातेदार घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्तमान में जमीनो की कीमतो में अप्रत्याशित वृद्धि होने से प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 वादी को उसके 1/3 हिस्से की आराजीयात से महरूम रखने के ईरादे से आराजीयात का दीगर व्यक्तियो को विक्रय कर वादी को बेदखल करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण वादी को उक्त आराजीयात से उसके हक हिस्से से महरूम रखना चाहते है जिनका कि उन्हे किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार नहीं है और न ही प्रतिवादी संख्या 1 को आराजीयात विक्रय करने का कानूनन अधिकार है। इसलिये वादी को अपने हिस्से की आराजीयात की खातेदारी घोषणा करवाने का कानूनन अधिकार है। दिनांक 16/01/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 कुछ अजनबी व्यक्तियो के साथ वादग्रस्त आराजीयात पर मौके पर आये तथा वादग्रस्त आराजी दिखाने लगे जब वादी ने इसका कारण पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 भूमाफिया के बहकावे में आकर वादी को धमकी दी कि वादग्रस्त आराजीयात मेरे नाम है जिसे दीगर व्यक्तियो को विक्रय कर तुम्हे बेदखल किया जावेगा, जिससे ादी को अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने बाबत यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण अपने मंसूबे में कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में नहीं की जा सकेगी। पक्षकारान के मध्य व्यर्थ में मुकदमेंबाजी बढेगी वादी अपने खातेदारी अधिकारो से वंचित हो जावेगा, जिसको न्यायहित में रोका जाना आवश्यक है इसलिये वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 4 भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार कायम किया गया है जिनके विरूद्व कोई राहत नहीं चाही है।

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये अनुतोष चाहा कि वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में वादी को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात वर्णित वाद पत्र में वादी के हिस्से की आराजी में प्रतिवादगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी उत्पन्न न स्वयं करे, न अन्य से करावे तथा न कब्जे काश्त से बेदखल करे तथा न ही आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल, विक्रय आदि करे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी दूदू

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 06.07.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 वं 2 की ओर से श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा व इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत किया, राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने राजीनामा में यह तथ्य अंकित किये कि हम पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में वादी को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है बल्कि पूर्ण सहमति है। मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाकर राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज करवाया जावे।

वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गई। वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 फोर्मल पक्षकार है जिनके विरूद्व वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

विद्वान अधिवक्ताओ के निवेदन पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का इकबालिया जवाबदावा, राजीनामा इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 126, 128, 130, 131, 133, 134/1677, 135, 138, 422, 426 लगायत 436, 624, 625, 626, 635, 636, 645, 646, 650, 725, 956 लगायत 961, 998, 1054 लगायत 1062, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1073, 1582 लगायत 1593, 1599, 1600, 1764/1074, 1766/1075 कुल किता 67 कुल रकबा 47.1500 हैक्टेयर वाके ग्राम सिरोहीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर राजस्थान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्से की आराजीयात दर्ज रिकॉर्ड है। विवादग्रस्त आरार्जीयात पैतृक है जो प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये विरासत अपने पिता रघुवीर सिंह से प्राप्त हुई है जिसमें वादी का विधिक हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया है।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

चूंकि वाद में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है एवं राजीनामा में प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज अपने हिस्से 1/3 में से वादी को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 व स्वयं को 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति जाहिर की है, न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 126, 128, 130, 131, 133, 134/1677, 135, 138, 422, 426 लगायत 436, 624, 625, 626, 635, 636, 645, 646, 650, 725, 956 लगायत 961, 998, 1054 लगायत 1062, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1073, 1582 लगायत 1593, 1599, 1600, 1764/1074, 1766/1075 कुल किता 67 कुल रकबा 47.1500 हैक्टेयर वाके ग्राम सिरोहीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर राजस्थान की आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से 1/3 में से वादी को हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 4 के वादग्रस्त आराजीयात में रहन के अधिकार यथावत रहेगे। तहसीलदार दूदू को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व चाहा गया स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09/08/2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर
मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू मुकाम

व इजलास श्री साजन कुमार चायल (R.A.S.)

मृत्युन्जय सिंह पुत्र श्री उदयभान सिंह राजपूत नि॰ सिरोही कलां बनाम 1. उदय भान सिंह S/O रघुवीर सिंह राजपूत 2. अजय सिंह S/O उदयभान सिंह राजपूत 3. TDR Dudu 4. मैनेजर S.B.B.J शाखा दूदू

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 80/2016 सन

यह मुकदमा आज ... इनफिसाल कतई रूबरू श्री प्रमोद कुमार एडवोकेट

व हाजिरी ... मिन्जानिब मुद्दई रूबरू श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत एडवोकेट

मिन्जानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म ...

अतः वादी का वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर ख॰ नं॰ 126, 128, 130, 131, 133, 134/1677, 135, 138, 422, 426 ता॰ 436, 624, 625 626, 635, 636, 645, 646, 650, 725, 956 ता॰ 961, 998, 1054 ता॰ 1062, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1073, 1582 ता॰ 1593, 1599, 1600, 1764/1074, 1766/1075 कुल किता- 67 कुल रकबा 47.1500 हैक्टे॰, वाके ग्राम सिरोही कलां तह॰ दूदू जि॰ जयपुर राजस्थान की आराजीयात में प्रतिवादी सं॰ 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/3 में से वादी को हिस्सा 1/3, प्रतिवादी सं॰ 1 को हि॰ 1/3 एवं प्रतिवादी सं॰ 2 को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी सं॰ 4 के बाबत आराजीयात में रहन के अधिकार यथावत रहेंगे।

आज तारीख ... व मुहर अदालत के आज तारीख

09-08-2016

दस्तखत [signature]

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

उपखण्ड अधिकारी

	रुपये	पैसे	मुद्दालह
			स्टाम्प अर्जी दावा
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी
... दर्ज ...			महन्ताना वकील

Scanned by CamScanner